



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01052020-219268
CG-DL-W-01052020-219268

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, अप्रैल 19—अप्रैल 25, 2020, शनिवार / चैत्र 30—वैशाख 5, 1942
No. 13] NEW DELHI, APRIL 19—APRIL 25, 2020, SATURDAY/CHAITRA 30—VAISAKHA 5, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 79.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग-III पद (समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार) भर्ती नियम, 1962, जहाँ तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I), स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड) के पदों से है, का उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस

बेतार में स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I), स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I), स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड), समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे ही होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे ही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहर्ता.**—ऐसा कोई व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत-पूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अन्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को इन नियमों की कोई बात प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1- स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I)	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स रु. 29200-92300 में स्तर 5

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- सीधे भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नत या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना हो
(11)
प्रोन्नति:-- ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II), जिसने वेतन मैट्रिक्स रु. 25500-81100 के स्तर 4 में नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा की है या स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड) में 15 वर्षों की संयुक्त सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण कर ली है। टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, वशर्ते कि उनकी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियां
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष; (2) उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य; (3) सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)
2- स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II)	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स रु. 25500-81100 में स्तर 4

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)
लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति:-- ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड), जिसने वेतन मैट्रिक्स रु. 19900-63200 के स्तर 2 श्रेणी में नौ वर्षों की नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण कर ली है। टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, तथा उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, वशर्ते कि उनकी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित

अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य; (3) सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)
3- स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	03* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स रु. 19900-63200 में स्तर 2

(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	18-25 वर्ष* (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी। टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। *यदि 'सीधी भर्ती' खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जानी हो तो आयु-सीमा 18-27 वर्ष होगी।	आवश्यक :- (i) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। (ii) मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन की छोटी खराबी को दूर करना आना चाहिए) ; (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष का अनुभव ; और (iv) कक्षा 10 उत्तीर्ण हो। बांछनीय: होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवकों के रूप में तीन वर्ष की सेवा। टिप्पणी:- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी को ऐसा लगे कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता

(9)	(10)
सीधे भर्ती या पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा। इससे ना होने पर सीधे भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन.

(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के उन नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो वेतन मैट्रिक्स रु. 18000-56900 के स्तर 1 में हैं, और मोटर कार चलाने की क्षमता की परख के लिए चालन परीक्षण के आधार पर जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति है, इसके ना होने पर वेतन मैट्रिक्स रु. 18000-56900 के स्तर 1 में केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर कार्यरत सवार हरकारा या नियमित समूह 'ग' के पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से, जो स्तम्भ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास विनिर्दिष्ट आवश्यक अनुभव और अर्हताएं हैं। ऐसे कार्मिकों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों में रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष; (2) उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य; (3) सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख एवं ग)/2017-प्र. II /पुअ. II]

चन्दन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF COORDINATION POLICE WIRELESS)

New Delhi, the 25th February, 2020

G.S.R. 79.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Class-III posts (Directorate of Coordination Police Wireless) Recruitment Rules, 1962 in so far as they relate to the posts of Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Directorate of Coordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination Police Wireless, Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .— These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, level in the pay matrix .— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification .— No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver (Grade I).	2* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the pay matrix Rs. 29200-92300.

Whether selection post or non - selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion:

Staff Car Driver (Grade-II) in Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 – 81100 with six years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; 2. Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; 3. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Staff Car Driver (Grade II)	2* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500-81100

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	By promotion

(11)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 in the pay matrix Rs. 19900 – 63200 with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; 2. Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; 3. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	03* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 in the pay matrix Rs. 19900-63200

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	18-25 years* (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	Essential: (i) Possession of a valid driving license for driving motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iii) experience of driving motor car for three years; and (iv) Pass in 10 th standard. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualification regarding	Not applicable

Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep. *If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive Examination', the age-limit would be 18-27 years.	experience is relaxable at the discretion of the competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
---	--	--

(9)	(10)
Two years for direct recruit or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in the level 1 in the pay matrix Rs. 18000 – 56900 in the Directorate of Coordination Police Wireless, who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix Rs. 18000 – 56900 in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; 2. Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; 3. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member.	Not applicable.

[No. A.11016/1/RR(B&C)/2017-Ad.II/PM-II]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

सा.का.नि. 80.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग III पद [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम, 1962 जहाँ तक उनका संबंध बीजलेख सहायक और बीजलेख प्रचालक के पदों से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, और समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग I और वर्ग II पद भर्ती नियम, 1966, जहाँ तक उनका संबंध अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) तथा तकनीकी अधीक्षक (बीजलेख) के पद से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने

का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में संयुक्त सहायक निदेशक (बीजलेख), संचार अधिकारी (बीजलेख) और सहायक संचार अधिकारी (बीजलेख) के पदों पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार [संयुक्त सहायक निदेशक (बीजलेख), संचार अधिकारी (बीजलेख) और सहायक संचार अधिकारी (बीजलेख) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहर्ता—वह व्यक्ति — जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन स्वीकार्य है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1-संयुक्त सहायक निदेशक (बीजलेख)	8* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स रु. 47600-151100 में स्तर 8

क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	आवश्यक :- अहर्ता : लागू नहीं होता। अनुभव: लागू नहीं होता। वांछनीय: अहर्ता : लागू नहीं होता। अनुभव : लागू नहीं होता।	आयु :- लागू नहीं होता। शैक्षिक अहर्ता:- लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, इसमें ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में किस श्रेणी से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति:-- ऐसा संचार अधिकारी (बीजलेख) जिसने वेतन मैट्रिक्स रु. 44900-142400 के स्तर 7 में नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्षों की नियमित सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित दो सप्ताह की अवधि का पुनश्चर्या बीजलेख पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और जिनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य पुलिस संगठन या केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस संगठन के अधिकारी, जो; (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स रु. 44900-142400 के स्तर 7 में या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा पूरी की हो; और (ख) निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव रखते हों :- (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रौद्योगिकी में स्नातक या इंजीनियरी में स्नातक या विज्ञान में स्नातक (कम्प्यूटर विज्ञान में इंजीनियरी) की डिग्री। या किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय के साथ बेचलर डिग्री और 12वीं स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो। (ii) समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित पुलिस उन्नयन बीजलेख पाठ्यक्रम श्रेणी-I या समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार या राज्य पुलिस संगठन या केन्द्र शासित प्रदेश पुलिस संगठन या समतुल्य द्वारा संचालित दो सप्ताह की अवधि का पुनश्चर्या बीजलेख पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। (iii) क्रिप्टो प्रणाली में काम करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसकी संरचना	भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियाँ
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-	प्रोन्नति के आधार पर पद को भरने के लिए आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। तथापि, प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद को भरने के लिए आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।
(1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	- अध्यक्ष;
(2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	- सदस्य;
(3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य	- सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. संचार अधिकारी (बीजलेख)	23*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स रु. 44900-142400 में स्तर 7

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	आवश्यक :- अहर्ता : लागू नहीं होता। अनुभव: लागू नहीं होता। वांछनीय: अहर्ता: लागू नहीं होता। अनुभव: लागू नहीं होता।	आयु:- लागू नहीं होता। शैक्षिक अहर्ता:- लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसे ऐसा ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: ऐसे सहायक संचार अधिकारी (बीजलेख) जिसने वेतन मैट्रिक्स रु. 35400-112400 के स्तर 6 में नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित पुलिस उन्नयन बीजलेख पाठ्यक्रम श्रेणी-I सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब, जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य पुलिस संगठन या केन्द्र शासित प्रदेश पुलिस के अधिकारी, जो:

(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स रु० 35400-112400 के स्तर 6 में या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:- किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रौद्योगिकी में बेचलर या इंजीनियरी में स्नातक या कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान (इंजीनियरी) बेचलर डिग्री। अथवा किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय के साथ बेचलर डिग्री और 12वीं स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो। और (ii) समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार या समतुल्य द्वारा संचालित पुलिस उन्नयन बीजलेख पाठ्यक्रम श्रेणी-I उत्तीर्ण किया हुआ हो। (iii) क्रिप्टो प्रणाली में काम करने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
--

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- (1) संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष; (2) उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य; (3) समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य – सदस्य।	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक संचार अधिकारी (बीजलेख)	82 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, अननुसचिवीय, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स रु. 35400-112400 में स्तर 6

(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख होगी।	आवश्यक अहर्ता:- किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रौद्योगिकी में स्नातक या इंजीनियरी में स्नातक या कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान (इंजीनियरी) स्नातक। अथवा किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय के साथ बेचलर डिग्री और 12वीं स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो, साथ ही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या सरकारी उपक्रम संगठन में बीज लेखन या प्रचालन अनुसंधान या शास्त्र गणित के क्षेत्र में एक वर्ष काम	लागू नहीं होता

	करने का अनिवार्य अनुभव हो। टिप्पण 1: अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहर्ता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
--	---	--

(9)	(10)
सीधी भर्ती के साथ-साथ अधिवर्षिता की आयु से पहले पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण : विभाग द्वारा सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित के लिए निर्धारित प्रवेश प्रशिक्षण, परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के भाग के रूप में	75% सीधी भर्ती द्वारा। 25% प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनर्नियोजन द्वारा (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)।

(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य पुलिस संगठन या केन्द्र शासित प्रदेश पुलिस संगठन के अधिकारी, जो:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (रू० 29,200-92,300) के स्तर 5 में या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अहर्ताएं और अनुभव रखते हों। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:- सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिक या जो स्थानांतरण होने पर एक वर्ष की अवधि तक सेवा में रहेंगे और पद के लिए विनिर्दिष्ट अनुभव और अहर्ताएं रखते हों, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को उनके सशस्त्र सेना से सेवामुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्त पर रखा जाएगा; उसके बाद वे पुनर्नियोजन पर लगातार सेवा कर सकेंगे। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से	आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

मिल कर बनेगी:- (1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार — अध्यक्ष; (2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार — सदस्य; (3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य — सदस्य।	
---	--

[सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख एवं ग)/2017-प्र. II /पुअ. II]

चन्दन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2020

G.S.R. 80.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Co-ordination Police Wireless Recruitment to Group 'B' posts Rules, 1966 and Group C posts Rules, 1962 in so far as they relate to the posts of Cipher Operator, Cipher Assistant, which are, now merged and re-designated as Assistant Communication Officer (Cipher); Technical Superintendent (Cipher), which is, now re-designated as Communication Officer (Cipher) and Extra Assistant Director (Cipher) which is, now re-designated as Joint Assistant Director (Cipher), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating to recruitment to the posts of Assistant Communication Officer (Cipher), Communication Officer (Cipher) and Joint Assistant Director (Cipher) in the Directorate of Co-ordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination Police Wireless [Joint Assistant Director (Cipher), Communication Officer (Cipher) and Assistant Communication Officer (Cipher)] Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix. — The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications . —No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax . — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may , by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving . — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Joint Assistant Director (Cipher)	8 (2020)* Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Non -Ministerial, Gazetted ,Group 'B'	Level 8 in the pay matrix Rs 47600-151100
Whether Selection or Non -Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications

			prescribed fordirect recruits will apply in case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Essential: Qualification: Not applicable. Experience: Not applicable. Desirable: Qualification: Not applicable. Experience: Not applicable.	Age:-Not applicable. Educational qualification:- Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	Promotion failing which deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
Promotion: Communication Officer (Cipher) in level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400 with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed the refresher cipher course of two weeks duration conducted by Directorate of Coordination Police Wireless. Note :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service. Deputation : Officials of the Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State Police Organisation or Union territory Police Organisation. (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience:- (i) Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering or Bachelor of Science (Engineering in Computer Science from a recognised University or Institute; or Bachelor Degree with Mathematics as a subject from a recognised university and having English as a subject at 12th Standard; (ii) should have passed police up-gradation cipher course Grade-I conducted by the Directorate of Coordination Police Wireless or equivalent and refresher cipher course of two weeks duration conducted by the Directorate of Coordination Police Wireless or State Police Organisation or Union Territory Police Organisation or equivalent. and (iii) two years working experience in cryptosystems. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making
---	---

	recruitments
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2) Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3) External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs – Members.	Consultation with the Commission is not necessary for filling up the posts on promotion basis. However, consultation of Commission is necessary for filling up the post on deputation basis.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.Communication Officer (Cipher)	23(2020)* Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Non-Gazetted, Non – Ministerial, Group 'B'	Level 7 in the pay matrix Rs.44900-142400

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Essential: Qualification: Not applicable. Experience: Not applicable. Desirable: Qualification: Not applicable. Experience: Not applicable.	Age:Not applicable Educational qualification: Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	Promotion failing which by deputation

(11)
Promotion: Assistant Communication Officer (Cipher) in the level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400 with five years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed Police Upgradation Cipher Course Grade-I conducted by the Directorate of Coordination Police Wireless. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers from amongst Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State Police Organisation or Union territory Police Organisation: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 6 in the pay matrix Rs.35400-112400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience:- (i) Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering or Bachelor of Science (Engineering) in Computer Science from a recognised University or Institute; or Bachelor Degree with Mathematics as a subject from a recognised University and having English as a subject at 12th Standard; and (ii) should have passed Police Up-gradation Cipher Course Grade-I conducted by the Directorate of Coordination Police Wireless or equivalent. (iii) one year working experience in cryptosystems. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not

exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : (1) Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2) Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3) External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs - Member.	Consultation with the Commission is not necessary for filling up the post on either by promotion or by deputation basis.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Assistant Communication Officer (Cipher)	82 (2020)* Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non-Gazetted, Non - Ministerial Group, 'B'	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	30 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential qualification:- Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering or Bachelor of Science (Engineering) in Computer Science from a recognised University or Institute. Or Bachelor Degree with Mathematics as a subject from a recognised University and having English as a subject at 12 th Standard with one year mandatory working experience in any Central Government or State Government or Union territory or public sector undertaking organisation in the field of cryptography or operational research or algorithm development. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage or selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

(9)	(10)
Two years for direct recruit as well as officers re-employed before the age of Superannuation. Note: Induction training for Direct Recruitment or Re-employed as prescribed by Department, as part of successful completion of probation.	75% by direct recruitment 25% by deputation/absorption or re-employment (for Ex-Serviceman).

(11)
Deputation /absorption: From amongst the officials of the Central Police Organisation or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State Police Organisation or Union territory Police Organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 5 in the pay matrix Rs. 29,200-92,300 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications as prescribed for direct recruits under column (7). and For Ex-Servicemen : Deputation/ re-employment: - The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2) Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3) External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs – Member.	Consultation with the Commission is not necessary.

[No. A.11016/1/RR(B&C) /2017-Ad.II/PM-II]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.